

राजस्व लोक अदालत अभियान
 'न्याय आपके द्वार-2018'

46
 18

किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए
 न्याय आपके द्वार 2018 का उद्देश्य है कि जनता को
 अपने अधिकारों का ज्ञान देना और उन्हें सुरक्षित रखना।
 प्रशासनिक सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए
 कार्यवाही को तेज करने के लिए।
 जनता को अपने अधिकारों के बारे में अधिक पता
 चलाने के लिए।
 न्याय के क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए।
 प्रशासनिक सेवाओं को तेज करने के लिए।
 न्याय के क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए।
 22 (सर्वेक्षण) के तहत राजस्व विभाग

न्याय आपके द्वार

उत्तर सं. 13 में
 आ. न्या. के सं. 13 में
 खोले गए हैं।
 पक्षकार बनाए
 इनके विरुद्ध मि
 कि कार्यवाही नही

कुंज

राजस्व विभाग
 नहीं है

सहायक निदेशक

सहायक निदेशक

आहपुरा (भीलवाड़ा)

के आन्तरिक नीति निर्धारण के
उद्देश्य के अन्तर्गत आन्तरिक
नीति निर्धारण के अन्तर्गत
आन्तरिक नीति निर्धारण के
अन्तर्गत आन्तरिक नीति निर्धारण के

आन्तरिक अन्तर्गत
सहायक कलेक्टर
आन्तरिक (पीलवाड़ा)